

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम, जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025

कबीरधाम दिनांक-15.12.2025

मैं कु रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम होने के परिणामस्वरूप कार्य विभाजन आदेश क्रं.-क्यू/मु.न्या. मजि./2025, कबीरधाम, दिनांक 06-09-2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती हूं, जो तत्काल प्रभावशील होगा -

(1) सरल क्रं.-04 के स्तंभ क्रं.-04 के क्र (4) में उल्लेखित प्रविष्टि (4) कबीरधाम जिला के क्षेत्राधिकार (तहसील पण्डरिया को छोड़कर) उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना को विलोपित कर सरल क्रं.-05 के स्तंभ क्रं.-04 के क्र (2) कबीरधाम जिला के क्षेत्राधिकार (तहसील पण्डरिया को छोड़कर) उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना प्रतिस्थापित कर संशोधित किया जाता है।

स्थान:-कबीरधाम (छ.ग.)



SD
कु रूपल अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कबीरधाम छ.ग.